

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.



मि०न० - 2/2024

अनवान :-

1. बृजलाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा तहसील भादरा। :-प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :-श्री भानुप्रताप बैनीवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 4/3/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किकराली के खाता सं० 140/37 के खसरा सं० 166, 167 कुल 22.700है० बरानी खातेदारी में विजयसिंह पुत्र रतीराम के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम बृजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र रतीराम दर्ज है, व रोही मौजा घोटडा पट्टा के खाता सं० 15/32 के खसरा सं० 100, 112, 126, 128, 129, 135, 136, 143, 146, 150, 152, 153, 155, 60, 62 कुल रकबा 50.4830है० खातेदारी में विजयपाल पुत्र रतीराम के नाम 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम बृजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम विजयपाल पुत्र रतीराम दर्ज है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बृजलाल पुत्र रतीराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा किकराली के खाता सं० 140/37 के खसरा सं० 166, 167 कुल 22.700है० बरानी खातेदारी में विजयसिंह पुत्र रतीराम के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम बृजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र रतीराम दर्ज है, व रोही मौजा घोटडा पट्टा के खाता सं० 15/32 के खसरा सं० 100, 112, 126, 128, 129, 135, 136, 143, 146, 150, 152, 153, 155, 60, 62 कुल रकबा 50.4830है० खातेदारी में विजयपाल पुत्र रतीराम के नाम 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम बृजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम विजयपाल पुत्र रतीराम दर्ज है, प्रार्थी का सही नाम विजयसिंह व विजयपाल पुत्र रतीराम के स्थान पर पर प्रार्थी का सही नाम बृजलाल पुत्र रतीराम दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

alpr
राजपैराकार (विजयपाल)
तहसीलदार भादरा

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा किकराली के खाता सं० 140/37 के खसरा सं० 166, 167 कुल 22.700 है० बरानी खातेदारी में विजयसिंह पुत्र रतीराम के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा घोटडा पट्टा के खाता सं० 15/32 के खसरा सं० 100, 112, 126, 128, 129, 135, 136, 143, 146, 150, 152, 153, 155, 60, 62 कुल रकबा 50.4830 है० खातेदारी में विजयपाल पुत्र रतीराम के नाम 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त रोही मौजा किकराली के खाता सं० 140/37 में विजयसिंह पुत्र रतीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम बृजलाल पुत्र रतीराम दर्ज किया जाकर व रोही मौजा घोटडा पट्टा के खाता सं० 15/32 में विजयपाल पुत्र रतीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम बृजलाल पुत्र रतीराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि विजयसिंह व विजयपाल पुत्र रतीराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम विजयसिंह व विजयपाल पुत्र रतीराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 21/1/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S.
भादरा जिला हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़